बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

–: कार्यालय आदेश :–

उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक–12534, दिनांक–17.09.2018 के कंडिका–07 (ज) में संविदा कर्मियों को हटाये जाने की स्थिति में अपील का प्रावधान है।

दिनांक–28.08.2023 को आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 33वीं बैठक के कार्यावली बिंदु–11 में लिये गये निर्णय के आलोक में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदात्मक पद पर नियोजित आई० टी० प्रबंधक, आई० टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायकों के नियोजन मुक्त किये जाने पर अपली का प्रावधान किये जाने हेतु अपीलीय प्रधिकार का गठन निम्न सारणी के अनुसार किया जाता है :–

क्र.	संविदात्मक पद का नाम	नियोजन प्रधिकार	अपीलीय प्राधिकार
1.	आई० टी० प्रबंधक	मिशन निदेशक	विकास आयुक्त
2.	आई० टी० सहायक	जिला पदाधिकारी	प्रमण्डलीय आयुक्त
3.	कार्यपालक सहायक	जिला पदाधिकारी	प्रमण्डलीय आयुक्त

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील का प्रावधान केवल सेवा से हटाये जाने की स्थिति में लागू होगा।

BRajendra 6.10.2023

(डॉ० बी० राजेन्दर)
मिशन निदेशक

ज्ञापांक– बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–06 / 2022, सो० 3967 दिनांक:– 10/10/2023

प्रतिलिपि:– विकास आयुक्त, बिहार / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

BRajendra 6.10.2023

मिशन निदेशक

ज्ञापांक– बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–06 / 2022, सो० 3967 दिनांक:– 10/10/2023

प्रतिलिपि:– सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

BRajendra 6.10.2023

मिशन निदेशक

462D:\Office\Office Work\Order.docx